

कार्यालय, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर।

क्रमांक :- ०५७६

दिनांक :- १/१०/१९

-:: कार्यालय आदेश ::-

(न्यायिक जांच अन्तर्गत धारा 176 सी0आर0पी0सी0-अक्टूबर 2019)

मैं अरतिन्द कुमार जांगिड़, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह अक्टूबर-2019 में जयपुर महानगर मुख्यालय पर पुलिस अभिरक्षा में अन्वेषणाधीन बन्दी, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर महानगर में विचाराधीन/ सजायाफ्ता बन्दी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु की जांच विधिक रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना आवश्यक हो, उनकी अप्राकृतिक/संदिग्ध मृत्यु होने की स्थिति में धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा सम्बन्धी कार्य करने हेतु निम्नलिखित कॉलम नम्बर 2 में अंकित दिनांक के लिए कॉलम नम्बर 3 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी जिनका नाम कॉलम नम्बर 04 में अंकित है, को निम्न प्रकार अधिकृत करता हूँ :-

(1) माह अक्टूबर, 2019 के कार्य दिवसों के दिन :-

क्र.सं.	कार्य दिवसों की अवधि (राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर)	नाम मजिस्ट्रेट न्यायालय जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र	नाम पीठासीन अधिकारी व मोबाईल नम्बर
कॉ (1)	कॉलम नं0 (2)	कॉलम नं0 (3)	कॉलम नं0 (4)
1.	दि.01.10.2019 से 08.10.2019 तक	ए.सी.एम.एम.-17, जयपुर महानगर	श्री पीयूष चौधरी, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 9694467001
2.	दि.09.10.2019 से 15.10.2019 तक	एम.एम.-18, जयपुर महानगर	श्री प्रवीण शंकर, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 9610007385
3.	दि.16.10.2019 से 23.10.2019 तक	स्पेशल एमएम एनआई एक्ट केसेज,कम-17, जयपुर मडानगर	श्री हिमांशु मीणा, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 9716784347
4.	दि.24.10.2019 से 31.10.2019 तक	ए.सी.एम.एम.-08, जयपुर महानगर	श्री कमल सोनी, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 9413568794


नोट-(1) उपरोक्त कार्य दिवसों की तिथियों को उक्त कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किये गये पीठासीन अधिकारी सम्बन्धित तिथियों को मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे तथा अपने निवास पर उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे।

(2) विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उपरोक्त कार्य दिवसों हेतु अधिकृत किये गये अधिकारीगण में से किसी भी अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में आगामी कम पर अंकित अधिकारी उपरोक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा अन्तिम कम पर अंकित अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में कम 1 पर अंकित अधिकारी व उसके उपरान्त पश्चातवर्ती अधिकारी के द्वारा इसी चकानुसार धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी मृतक की मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच एवं अन्य मृत्युकालीन समीक्षा सम्बन्धी कार्य किया जावेगा।

(3) विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर किसी कार्य दिवस में आघात दिवस अवकाश पर रहने वाले अधिकारी को ही उस दिन प्राप्त जांच कार्य सुपुर्द किया जाना माना जायेगा। उक्त आघात दिवस अवकाश की अवधि में केवल अत्यावश्यक कार्य ही आगामी कम में अंकित न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा। शेष जांच एवं अन्य मृत्युकालीन समीक्षा सम्बन्धी कार्य मूल अधिकारी द्वारा ही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

(4) उपरोक्त कॉलम नम्बर 2 में वर्णित अवधि में आने वाले राजपत्रिक अवकाशों में उक्त जांच कार्य करने हेतु इसी आदेश में पृथक व्यवस्था की गई है।

(5) अन्य कोई परिस्थिति उत्पन्न होने पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार उक्त कार्य सम्पादित किया जा सकेगा।

  
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट  
जयपुर महानगर, जयपुर



(2) माह अक्टूबर, 2019 के राजकीय अवकाशों के दिन

क्र.सं.	दिनांक राजकीय अवकाश	नाम मजिस्ट्रेट न्यायालय जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र	नाम पीठासीन अधिकारी व मोबाईल नम्बर
कॉलम (1)	कॉलम नं० (2)	कॉलम नं० (3)	कॉलम नं० (4)
1.	02.10.2019	ए.सी.एम.एम.-06, जयपुर महानगर	सरोज जी सीवर, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 0413645870
2.	06.10.2019	ए.सी.जे. एण्ड एम.एम.-वेस्ट, जयपुर महानगर	श्री अरविन्द कुमार, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 7891260091
3.	07.10.2019	एम.एम.-01, जयपुर महानगर	श्री राजूराम, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 9610448989
4.	08.10.2019	एम.एम.-05, जयपुर महानगर	श्री हिमांशु गर्ग, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 6376088131
5.	12.10.2019	एम.एम.-33, सांगानेर, जयपुर महानगर	रोमा जी भाटिया, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 8826616903
6.	13.10.2019	ए.सी.एम.एम.-21, सांगानेर, जयपुर महानगर	ज्योति सिंह जी मीणा, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 8005600275
7.	20.10.2019	ए.सी.एम.एम.-12 जयपुर महानगर	श्री विनोद कुमार बागडी, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 9530109855
8.	25.10.2019	एम.एम.-23, जयपुर महानगर	नीरू जी सोनी, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 9982656304
9.	26.10.2019	एम.एम.-02, जयपुर महानगर	रेखा जी तिवाडी, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 9057248972
10.	27.10.2019	ए.सी.एम.एम.-20, सांगानेर, जयपुर महानगर	श्री विनोद कुमार गुप्ता-द्वितीय, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 7597776669
11.	28.10.2019	एम.एम.-30, जयपुर महानगर	श्री प्रतीक दाधिच, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 9413712044
12.	29.10.2019	ए.सी.एम.एम. (पी.सी.पी.एन.डी.टी.), जयपुर महानगर	स्नेहलता जी, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 9784925149
13.	नोट नं० (1) :- अक्टूबर 2019 में आकस्मिक रूप से घोषित अवकाश के दिन/उपरोक्त में से किसी अधिकारी के अचानक अवकाश पर रहने पर	ए.सी.एम.एम.-13, जयपुर महानगर	सुषमा जी शर्मा, आर.जे.एस. मोबाईल नं. 7742082347

नोट-(1) उपरोक्त राजकीय अवकाशों हेतु अधिकृत किये गये अधिकारीगण में से किसी भी अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में आगामी कम पर अंकित अधिकारी उपरोक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा अन्तिम कम पर अंकित अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में कम 1 पर अंकित अधिकारी व उसके उपरान्त पश्चातवर्ती अधिकारी के द्वारा इसी चकानुसार धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी मृतक की मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच एवं अन्य मृत्युकालीन सचीक्षा सम्बन्धी कार्य किया जावेगा।

(2) उपरोक्त अवकाश की तिथियों को उक्त कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किये गये पीठासीन अधिकारी सम्बन्धित तिथियों को मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे तथा अपने निवास पर उपरोक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे।

(3) अवकाश के दिन कार्य करने हेतु अधिकृत किए गये पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी नियत तिथि के पूर्व दिवस को कार्यालय समय समाप्त से प्रारम्भ होकर अवकाश के दिन से आगामी तिथि को कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक रहेगी।

(4) विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर अवकाश के दिन कार्य करने हेतु अधिकृत किये गये पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वे अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रेषित कर लिखित स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मुख्यालय का परित्याग कर सकेंगे।

(अरविन्द कुमार जागिड़, आर.जे.एस.)

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट

जयपुर महानगर, जयपुर